07/11/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय-पक्ष उपस्थित। बाद परीक्षण रिकार्ड किया जाकर पृथक निर्णय अलग से लिखवाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

GCMS 2024/72

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 13/2024 GCMS:- 2024/72 दायरा दिनाक 04.01.2024

1. लक्ष्मण पुत्र
2. विक्रम पुत्र
3. सुनीता रानी पुत्री
4. पूनम पुत्री
5. रूकमा पत्नी

रामगोपाल अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादीगण
2. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 1
3. पेरोकारराज तहसीलदार सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 07/11/2024

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 के नाम से चक 41 पीबीएन के पत्थर न. 72/378 के किला न. 1–2/0.506, 8/2 में 0.101, 9 ता 12 में 1.012, 19 ता 22 में 1.012, 23/1 में 0.101 हैक. कुल 2.732 हैक. नाली दोयम में 1/2 हिस्सा व इसी तहसील के चक 15 एसएलडी के पत्थर न. 85/385 के किला न. 21/0.253 हैक. व पत्थर न. 85/386 के किला न. 1 ता 4 में 1.012, 7 ता 14 में 2.024, 18 ता 20 में 0.759, 21/2 में 0.228, 22/2 में 0.228, 23/2 में 0.228 हैक. कुल 4.479 हैक. व पत्थर न. 85/387 के किला न. 1/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड, 1/2 में 0.025 हैक. खाला, 2/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड, 2/2 में 0.025 हैक. खाला, 3/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड, 3/2 में 0.025 हैक. खाला, 4/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड, 4/2 में 0.025 हैक. खाला इस पत्थर में 1.012 हैक. कमाण्ड मयखाला व पत्थर न. 86/385 के किला न. 16–17–23 ता 25 में 1.265 हैक. व पत्थर न. 86/386 के किला न. 3 ता 8 में 1.518 हैक., 13 ता 16 में 1.012, 25/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड इस पत्थर नम्बर में 2.758 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 86/387 के किला न. 5/1 में 0.228 हैक. कमाण्ड व 5/2 में 0.025 हैक. खाला इस प्रकार कुल 10.020 हैक. कमाण्ड मयखाला में 1223/10020 हिस्सा यानि 1.223 हैक. कमाण्ड मयखाला रकबा खातेदारी है उक्त रकबा प्रतिवादी को अपने दादा व वादीगण के पड़दादा बुधाराम से विरास्तन प्राप्त हुआ है जो पैतृक रकबा है वादीगण के दादा पुरखाराम – सुल्तानराम – निराणाराम – भूराराम कुल चार भाई थे इन चारो को 1/4, 1/4 हिस्सा में प्राप्त हुआ व वादीगण को पिता दो भाई रामगोपाल – प्रेमाराम है इस प्रकार परिवार में सहदायिक प्राप्त रकबा है [illegible]गण का परिवार हिन्दु मिताक्षरा से गर्वन होता है वादीगण के परिवार की [illegible] पुत्र/पुत्री अपने पिता को दादा पड़दादा से प्राप्त रकबा [illegible] पिता के सामान हक प्राप्त कर सकते है तथा जब पिता पुत्र पुत्रियो के बीच हको की घोषणा होती है तो पत्नी भी पुत्र/पुत्रियो के सामान हकदार होती है वादीगण 1 [illegible] 4 के एक भाई प्रमोद दिनाक 20.04.2021 को लाऔलाद फौत हो चुका है उसका भी इस रकबा में जन्मजात हक बनता था

लगातार पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिये प्रतिवादी न. 1 के कुल 5 सन्तान व एक पत्नी कुल 6 जायज वारिस जिनका इस रकबा में हक बनता है। प्रतिवादी न. 1 के रकबा में प्रतिवादी न. 1 सहित 7 हिस्सो में प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा बनता है चुकिः प्रमोद लाऔलाद फौत हो चुका है उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस माता रूकमा है इसलिये उक्त प्रतिवादी न. 1 के रकबा में वादीगण न. 1 ता 4 प्रत्येक 1/7, 1/7 हिस्सा के व वादीया न. 5 उक्त रकबा में 2/7 हिस्सा की हकदार है उक्त रकबा इसीनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की हकदार है प्रतिवादीगण न. 1 को तहसील में चलकर हिस्सा दर्ज करवाने का कहा तो वो ब्यान देने से मुकर गया इसलिये यह दावा पेश करना पड़ रहा है यही वाद उत्पन होने का मुख्य कारण है इसलिये वाद वादीगण डिक्री का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की और से जवाब इकबाल प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार करने में सहमति दी तथा पेरोकारराज ने कोई जवाब नही दिया इसलिये दावा में कोई विरोध पैदा ना होने से तनकीयात बनाने की आवश्यकता नही हुई व साक्ष्यवादी करवाये गये साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी। वादीगण ने कानूनी नजीर आरआरडभ 2008 पेज 478, आरआरडी 1992 पेज 107, आरआरटी 2012 पेज 350, आरआरटी 2021 पेज 855 पेश किये।

उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यो चालू जमाबन्दी से जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम से खातेदार होना साबित है तथा जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 का स्वअर्जित हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादी न. 1 ने पेश नही किया तथा वाद स्वीकार में सहमति दी वादीगण न. 1 ता 4 प्रतिवादी न. 1 के पुत्र/पुत्री है तथा जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 को सहदायिक पैतृक प्राप्त होना स्वीकार कर रहा है तथा हिन्दु विधी के अनुसार पैतृक रकबा में उसके पुत्र/पुत्रीया का जन्मजात हक होता है तथा कानूनी नजीर आरआरटी 2012 पेज 350 व हिन्दु विधी के प्रावधानो के अनुसार पुत्रीया भी पुत्रो के सामान हकदार होती है तथा उच्च न्यायालय की रिट रामप्यारी बनाम राजस्व मण्डल अजमेर में पत्नी भी पुत्रो के सामान हकदार है वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर के अनुसार पुत्र/पुत्री/पत्नी जैरप्रकरण रकबा में पिता के सामान हकदार है व मृतक पुत्र जिसका हक जन्मजात बनता था फौत हो गया है तो उसका हक उसकी माता प्रथम श्रेणी की वारिस होने से हकदार होगी। इसलिये जैरप्रकरण प्रतिवादी न. 1 के नाम के रकबा में वादीगण न. 1 ता 4 एवं मृतक प्रमोद का इस रकबा में पिता के सामान व पत्नी वादीया न. 5 भी पुत्री के सामान हिस्सा प्राप्त करने की हकदार यानि प्रत्येक वादीगण न. 1 ता 4 अपने 1/7, 1/7 हिस्सा व वादीया न. 5 अपना 1/7 हिस्सा व मृतक प्रमोद का 1/7 हिस्सा प्राप्त करने ही हकदार है इसलिये प्रतिवादी न. 1 के नाम के जैरप्रकरण रकबा में वादीगण न. 1 ता 4 प्रत्येक 1/7, 1/7 हिस्सा व वादीया न. 5 को 2/7 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता न. 80/64 के पत्थर न. 72/378 के 2.732 हैक. नाली दोयम में प्रतिवादी न. 1 रामगोपाल के नाम के 1/2 हिस्सा में व चक 15 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता न. 5/7 के पत्थर न. 85/385, 85/386, 85/387, 86/385, 86/386, 86/387 इस खाते के 10.020 हैक. में प्रतिवादी न. 1 के 1223/10020 हिस्सा में वादीगण न. 1 ता 4 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्सा व वादीया न. 5 को 2/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी न. 1 के हिस्सा में से वादीगण के हिस्सा का रकबा कलमजन करते हुये वादीगण के नाम उक्त हिस्सानुसार खातेदारी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है तथा बैक ऋण [illegible] में दर्ज हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

—:: अन्तिम डिक्री ::—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर

(बइजलास :— सन्दीप कुमार, आर. ए. एस.)

—:: अनवान ::—

1. लक्ष्मण पुत्र
2. विक्रम पुत्र
3. सुनीता रानी पुत्री
4. पूनम पुत्री
5. रूकमा पत्नी

रामगोपाल अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए 1955 मुकदमा न. 13 वर्ष 2024 वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी न. 1 श्री योगेश शर्मा व पैरोकारराज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता न. 80/64 के पत्थर न. 72/378 के 2.732 हैक. नाली दोयम में प्रतिवादी न. 1 रामगोपाल के नाम के 1/2 हिस्सा में व चक 15 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता न. 5/7 के पत्थर न. 85/385, 85/386, 85/387, 86/385, 86/386, 86/387 इस खाते के 10.020 हैक. में प्रतिवादी न. 1 के 1223/10020 हिस्सा में वादीगण न. 1 ता 4 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्सा व वादीया न. 5 को 2/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी न. 1 के हिस्सा में से वादीगण के हिस्सा का रकबा कलमजन करते हुये वादीगण के नाम उक्त हिस्सानुसार खातेदारी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है तथा बैक ऋण यथावत् हिस्सा में दर्ज हो।

नोज ....X.......... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... X .... फस्दो की पालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे। बाद दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.11.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)